

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग

क्रमांक-एफ.1/COVID-19/2020

दिनांक 26.03.2020

आदेश


कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण राज्य में "लॉक डाउन" घोषित किया गया है। उक्त "लॉक डाउन" के क्रम में दिनांक 25.03.2020 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों एवं गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ.33(2)होम/ग्रुप-9/2019 दिनांक 26.03.2020 द्वारा आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण एवं आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों को "लॉक डाउन" से मुक्त रखा गया है।

"लॉक डाउन" से मुक्त रखी गई आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्री को लाने-ले जाने एवं उक्त सामग्री की डोर-टू-डोर/होम डिलिवरी निर्बाध रूप से करने हेतु वाणिज्यिक/निजी वाहनों एवं कार्मिकों को सप्लाई चेन मेंटेन रखने के उद्देश्य से आवश्यक पास/परमिट/अनुमति पत्र जारी करने हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:

क्र. सं.	विवरण	परिचालन	प्राधिकृत अधिकारी
1.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित इकाइयों के लिए	एक ही जिले में	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (संबंधित)
2.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां	एक ही जिले में	रीको का क्षेत्रीय इकाई प्रमुख
3.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित इकाइयों के लिए	एक से अधिक जिलों में	श्री अविन्द्र लढ्ढा अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर मोबाईल नं. 9829368001
4.	रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां	एक से अधिक जिलों में	प्रबन्ध निदेशक, रीको अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, रीको मुख्यालय, जयपुर


उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी जारी किये गये अनुमति पत्रों का ऑनलाइन विवरण सम्बन्धित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, रीको कार्यालय एवं कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

उक्त निर्देशों की क्रियान्विति करते समय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाजरी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।


(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, जयपुर।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको क्षेत्रीय इकाई, समस्त।


26/03/2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग